

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1973 / 2008 / जयपुर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत-प्रथम, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड, डी-24, पृथ्वीराज मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पारस पाटनी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/06/2018


निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 389/अपील्स-11/आरएसटी/जयपुर/वि.वृ.राज./99-2000 में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.10.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 30, 58, 65 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 37, 11(बी), 61(आई) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.04.99 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रथमतः दिनांक 27.3.1995 को वर्ष 1991-92 के कर निर्धारण में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत की गई बिक्रियों को राज्य के भीतर की बिक्री मानकर करारोपण किया गया था एवं शास्ति आरोपित की गयी थी। उस आदेश दिनांक 27.3.1995 को अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 17.7.1997 के जरिये अपास्त कर बिना जांच एवं उचित आधार के पारित आदेश को पुनः जांचकर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था।

3. प्रतिप्रेषित प्रकरण में पुनः आदेश दिनांक 30.4.1999 को पारित कर दो अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों को अविधिक मानते हुए करारोपण किया गया जिसमें बिल संख्या 293934 दिनांक 10.03.1992 जो व्यवहारी के कथनानुसार ~~जो~~ उनकी दिल्ली की ब्रांच का बिल था उसे राजस्थान राज्य की बिक्री मानकर

लगातार.....2



उसपर करारोपण कर दिया गया। इसके अलावा बिल संख्या 293033 दिनांक 29.7.91 जो कि राजस्थान की ब्रांच द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत जारी किया गया था जिसके घोषणा पत्र 'सी' एवं 'ई' प्राप्त थे, उसे राजस्थान की स्थानीय बिक्री मानकर उस पर भी करारोपण किया गया। साथ ही ब्याज एवं करवंचना मानते हुए शास्ति भी आरोपित की गयी थी। उक्त आदेश दिनांक 30.4.1999 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील, अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर आरोपित कर रुपये 1,23,044/- अपास्त कर दिया एवं अनुवर्ती ब्याज एवं शास्ति भी अपास्त किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन किया एवं राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया एवं आदेश के पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए विवेचित आदेश में कोई गलती नहीं होना बताया।


6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रथम कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.3.1995, अपीलीय आदेश दिनांक 17.7.1997 एवं प्रतिप्रेषित प्रकरण की पालना में पारित किये गये पुनः उक्त विवादित कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.4.99 एवं अपीलीय आदेश दिनांक 26.10.2007 का अध्ययन किया गया।

7. इस प्रकरण में प्रथम बार जो कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.3.1995 को पारित किया गया था उसके अध्ययन एवं दुबारा प्रतिप्रेषित निर्देशों की पालना में किये गये आदेश से यह स्पष्ट होता है कि व्यवहारी फर्म द्वारा प्रत्येक तथ्य को प्रमाणित करवाने के बावजूद भी मात्र अन्तर्राज्यीय विक्रय जो दिल्ली की ब्रांच से सीधे राजस्थान को किया गया था एवं जिसकी पूरी पुष्टि दिल्ली के कर निर्धारण आदेश एवं बहियात से करवा दी थी कि वह बिल, दिल्ली की ब्रांच का है एवं दिल्ली से माल राजस्थान आया है एवं यहां तक कि उस माल की खरीद मद्रास से दिल्ली हुई एवं वहां से माल राजस्थान आया, उन तथ्यों को बिना किसी आधार के अस्वीकार कर दिल्ली के बिल संख्या 293934 दिनांक 10.03.1992 को राज्य की बिक्री मानकर करारोपण किया गया वह पूर्णतया अविधिक था जिसे अपीलीय अधिकारी ने पूर्ण विवेचना कर अपास्त किया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।



लगातार.....3

8. यह टिप्पणी की जाती है कि उक्त व्यवहारी की बिल फाईल में दिल्ली के बिल की प्रति प्राप्त होने मात्र से यह करारोपण किया गया था जबकि व्यवहारी ने पूर्ण साक्ष्यों से बताया था कि वह दिल्ली ब्रांच के बिल की प्रति है। अपीलीय अधिकारी के आदेश में पूर्ण तथ्यों को उचित रूप से रखा गया है।
9. प्रकरण में दूसरा विवादित करारोपण बिल संख्या 293033 दिनांक 29.7.1991 से सम्बन्धित था। यह बिल जयपुर की ब्रांच द्वारा राजस्थान में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के तहत Sale during the transit of goods किया गया था। उक्त संव्यवहार में स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश में अंकित किया है कि वह माल महाराष्ट्र से सीधे चित्तौड़ की फर्म बिड़ला जूट इण्डस्ट्रीज को डिलीवर किया गया। इस संव्यवहार के तथ्यों की भी अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण स्पष्टता के साथ वर्णित करते हुए यह निर्णय किया है कि माल की डिलीवरी अन्तिम क्रेता द्वारा लिया जाना एवं बिल्टी बेचान करने के तथ्यों की पुष्टि होने के उपरान्त भी उसे राज्य के भीतर की बिक्री मानना विधिविरुद्ध है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इस संव्यवहार की भी सूक्ष्म जांचकर यह निर्विवादित पाया कि माल महाराष्ट्र की फर्म केमीजर इंडिया से खरीद कर sale in transit u/s 6(2) of CST Act किया गया है। जिसकी डिलीवरी सीधे चित्तौड़गढ़ में हुई एवं व्यवहारी द्वारा डिलीवरी नहीं लेने को स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ने भी आदेश में ^{अंकित} करना बताया। ऐसी स्थिति में interstate transaction पर कर लगाने के अनधिकृत आदेश को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है।
10. इस तरह अविधिक रूप से आरोपित कर अपास्त करने पर परिणामिक ब्याज एवं शास्ति स्वतः अपास्त करने के आदेश की पुष्टि की जाती है। फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य